मध्य प्रदेश शासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक :- F 3-2/2017/41-2 भोपाल, दिनांक: 23/10/2019

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   मध्य प्रदेश शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल |
2. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश शासन |
3. प्रबंध संचालक, समस्त निगम / मंडल, मध्यप्रदेश |
4. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश |

विषय:- आधार ऑथेंटिकेशन और **आधार ई-साइन (e-Sign)** के लिए म.प्र.राज्य.इले.वि.निगम (MPSEDC) द्वारा दी जा रही सेवाओं के उपयोग बाबत।

संदर्भ:- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, म.प्र.शासन का पत्र क्रं- F. 3-2/2017/41-2 दिनांक - 01/10/2018

म.प्र.राज्य.इले.वि.निगम द्वारा राज्य शासन के विभागों के लिये "परिचय परियोजना" के अंतर्गत आधार ऑथेंटिकेशन सेवाओं की सुविधा प्रदान की जा रही है। आधार ऑथेंटिकेशन सेवाए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी नवीनतम गाइडलाइन के कंपलाएंस अनुसार है | म.प्र.राज्य.इले.वि.निगम एक ग्लोबल AUA (Aadhar Authentication Agency) के रूप में कार्यरत है।

समस्त विभागों से अपेक्षित है कि म.प्र.राज्य.इले.वि.निगम द्वारा प्रदान की जा रही आधार ऑथेंटिकेशन की सुविधाओं का उपयोग करें। इस संबंध में पूर्व में भी संदर्भित पत्र (संलग्न) अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दिशानिर्देश जारी किये गए हैं।

1. ज्ञात हो कि राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा उनकी हितग्राही मूलक योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियो को देय फंड / सबसीडी / सेवाए (कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अथवा म.प्र.शासन द्वारा वित्त पोषित) प्रदान करने के लिये आधार एक्ट 2016 की धारा 7 एवं THE AADHAAR AND OTHER LAWS (AMENDMENT) ACT, 2019 की धारा 7 के संदर्भ में, लाभार्थी/ हितग्राही की पहचान स्थापित करने हेतु आधार ऑथेंटिकेशन किये जाने की आवश्यकता होगी।

2. **ई-साइन सुविधा** :- वर्तमान में विभिन्न शास. विभाग आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए USB डोंगल आधारित डिजिटल हस्ताक्षर (DSC) का उपयोग कर रहे हैं। अब डोंगल आधारित DSC के अलावा आधार - आधारित ई-साइन (e-Sign) का प्रयोग अनुशंसित है । ई-साइन (e-Sign) व्यक्ति के आधार ऑथेंटिकेशन के बाद सर्टिफिकेशन अथॉरिटी (CA) द्वारा जारी किया गया एक डिजिटल हस्ताक्षर है। ई-साइन(e-Sign) प्रक्रिया के अंतर्गत किये गए डिजिटल हस्ताक्षर, कंट्रोलर सर्टिफाइंग अथॉरिटी(CCA) भारत सरकार के कंपलाएंस अनुसार है, एवं "इलैक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या इलैक्ट्रॉनिक प्राधिकरण तकनीकी और प्रक्रिया नियम" 2015 नियमों के अनुसार कानूनी तौर पर वैध है।

म.प्र.राज्य.इले.वि.निगम द्वारा CDAC एवं अन्य सेवा प्रदाता एजेंसियो के सहयोग से ई-साइन गेटवे बनाया गया है एवं विभागो के लिये ई-साइन सुविधा उपलब्ध की गयी है । समस्त विभागों से अपेक्षित है कि म.प्र.राज्य.इले.वि.निगम द्वारा प्रदान की जा रही आधार समर्थित ई-साइन (e-Sign) सुविधा का उपयोग करें।

3. साथ ही सभी विभागों को अनुशंसित किया जाता है कि प्रत्येक दस्तावेज जिस पर ई-साइन (e-Sign) किये गए हो उसे एक यूनिक पहचान क्रमांक (unique id no.) दिया जाना चाहिए ताकि ई-साइन (e-Sign) किये गए दस्तावेजो को आवश्यकता पड़ने पर आसानी से खोज कर चिन्हित किया जा सके । समस्त ई-साइन (e-Sign) किये गए दस्तावेजो, को (गोपनीय दस्तावेजो को छोड़कर) विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध किया जाना चाहिये।

4. म.प्र.राज्य.इले.वि.निगम द्वारा दी जा रही आधार ऑथेंटिकेशन और आधार ई-साइन (e-Sign) सेवाए पूर्णत: नि:शुल्क है । इसके लिये विभागो को अन्य बाह्य एजेंसियो से अनुबंध करने की आवश्यकता नही होगी । आधार ऑथेंटिकेशन व ई-साइन (e-Sign) सुविधा प्राप्ति हेतु आवश्यक तकनीकी एवं प्रक्रिया संबंधी सहयोग, म.प्र.राज्य.इले.वि.निगम (MPSEDC) द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस के लिये *एकल सम्पर्क सुत्र (SPOC) - श्री गगन सावलिया (तक. सलाहकार, म.प्र.इले.वि.नि.) , ई-मेल* *gagan.sawaliya@mpsedc.com, मो.- 7987052428) है ।*

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
विज्ञान एवं प्रौद्यो.विभाग, म.प्र.शासन

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 3-2/2017/पार-2 भोपाल दिनांक 23/10/2019

1. प्रतिलिपि: प्रबंध संचालक,म.प्र. ईले. विकास निगम (MPSEDC), 47-A, अरेराहिल्स, भोपाल|

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग म.प्र.शासन

कृपया उक्त परिपत्र को विभाग की वेबसाइट के Circular (परिपत्र) फोल्डर में डालने हेतु श्रीमती यामिनी श्रीवास्तव, MAPIT को अंकित करना चाहेंगे।

29/10/19 US

29.10.19 US (S&T)

श्रीमती यामिनी श्रीवास्तव,
प्रोजेक्ट मैनेजर
MAPIT, Bhopal

आवक क्रमांक 2452/..../2019
दिनांक 29/10/19